Date - 28 June 2022

वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (VL-SRSAM)

- हाल ही में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (VL-SRSAM) का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और भारतीय नौसेना द्वारा एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR), चांदीपुर ओडिशा में एक भारतीय नौसेना जहाज से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया था।

VL-SRSAM के बारे में:

- वीएल-एसआरएसएएम को भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनाती के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की तीन इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।
- मिसाइल में समुद्र-स्किमिंग लक्ष्यों सहित निकट सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करने की क्षमता है।
- सी स्किमिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग कई जहाज-रोधी मिसाइलों और कुछ लड़ाकू या हड़ताली विमानों द्वारा रडार और इन्फ्रारेड डिटेक्शन से बचने के लिए किया जाता है।

डिज़ाइन:

- मिसाइल की मारक क्षमता 40 से 50 किमी है। 15 किमी तक की दूरी और लगभग 15 किमी की ऊंचाई पर उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया।
- इसका डिजाइन एस्ट्रा मिसाइल पर आधारित है, जो दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
- एस्ट्रा ("हथियार") भारत की पहली हवा से हवा में सभी मौसम में सक्रिय है, जो कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित दृश्य सीमा रडार से हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
- बियॉन्ड-विज़ुअल-रेंज मिसाइल (बीवीआर) एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो 20 समुद्री मील या उससे अधिक की दूरी तक मार करने में सक्षम है।

विशेषताएँ:

- **क्रूसिफ़ॉर्म पंख**: वे चार छोटे पंख होते हैं जो चार तरफ एक क्रॉस की तरह व्यवस्थित होते हैं और प्रक्षेप्य को एक स्थिर वायुगतिकीय स्थिति प्रदान करते हैं।
- **थ्रस्ट वेक्टरिंग:** यह अपने इंजन के साथ मिसाइल की थ्रस्ट की दिशा, कोणीय वेग और स्थिति को बदलने की क्षमता है।
- जोर वह बल है जो वायुयान को हवा में घुमाता है।
- **कैनिस्टर्ड सिस्टम:** यह अंदर के वातावरण को नियंत्रित करता है, इस प्रकार परिवहन और भंडारण को आसान बनाता है, और हथियार को टिकाऊ बनाता है।

Yojna IAS

रक्षात्मक प्रतिक्रिया:

चाफ:

- यह दुश्मन के राडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) मिसाइलों से नौसेना के जहाजों की रक्षा के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल की जाने वाली एक जवाबी तकनीक है।

जहाज रोधी मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए मिसाइलें:

- इन प्रणालियों में तेजी से पता लगाने की प्रणाली और युद्धपोतों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया होनी चाहिए।

Yojna IAS

नीति आयोग

- नीति (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग के सीईओ अमिताभ कांत पद छोड़ने के लिए तैयार हैं और उनकी जगह पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के पूर्व सचिव परमेश्वरन अय्यर लेंगे।

नीति आयोग:

पृष्ठभूमि:

- योजना आयोग को 1 जनवरी, 2015 को एक नई संस्था नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें 'सहकारी संघवाद' की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की अवधारणा की परिकल्पना करने के लिए 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण पर जोर दिया गया।
- इसके दो हब हैं।
- टीम इंडिया हब - राज्यों और केंद्र के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।
- नॉलेज एंड इनोवेशन हब- नीति आयोग के थिंक-टैंक की तरह काम करता है।

संयोजन:

- **अध्यक्ष:** प्रधानमंत्री
- **उपाध्यक्ष:** प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
- **शासी परिषद:** सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।
- **क्षेत्रीय परिषद:** प्रधान मंत्री या उनके द्वारा नामित व्यक्ति विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है।
- **तदर्थ सदस्यता:** प्रमुख शोध संस्थानों से रोटेशन पर 2 पदेन सदस्य।
- **पदेन सदस्यता:** प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम चार सदस्य।
- **मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ):** भारत सरकार के सचिव जो एक निश्चित अवधि के लिए प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
- **विशेष आमंत्रित:** प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ।

उद्देश्य:

- राज्यों के साथ निरंतर आधार पर संरचित समर्थन पहलों और तंत्रों के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यह मानते हुए कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों पर इनका उत्तरोत्तर मिलान करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल किया गया है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जिन्हें यह संदर्भित करता है।
- समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान दें जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभ न मिलने का जोखिम हो सकता है।
- प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ-साथ शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह प्रदान करना और भागीदारी को प्रोत्साहित करना
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारों के एक सहयोगी समुदाय के माध्यम से एक ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता समर्थन प्रणाली की स्थापना।
- विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना।

Yojna IAS

- एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखने के साथ-साथ सतत और न्यायसंगत विकास में सुशासन और सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान को एकत्रित करने के साथ-साथ हितधारकों के प्रसार में मदद करना।

नीति आयोग की स्थापना का महत्व:

- 65 साल पुराना योजना आयोग एक निरर्थक संगठन बन गया था। यह एक निर्देशित अर्थव्यवस्था संरचना में प्रासंगिक था लेकिन अब नहीं।
- भारत विविधताओं का देश है और इसके राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं, उनकी अपनी अलग-अलग ताकत और कमजोरियां हैं।
- यह धारणा गलत है कि आर्थिक नियोजन के लिए एक मॉडल सभी पर लागू होना चाहिए। यह भारत को आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रतियोगी के रूप में स्थापित नहीं कर सकता।

संबंधित चिंताएं और चुनौतियां:

- नीति आयोग के पास राज्यों को विवेकाधीन वित्त पोषण देने का कोई अधिकार नहीं है, जो इसे परिवर्तनकारी हस्तक्षेप करने में असमर्थ बनाता है।
- यह केवल एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है जो सरकार को अपने विचारों की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित किए बिना विभिन्न मुद्दों पर सलाह देता है।
- नीति आयोग की निजी या सार्वजनिक निवेश को प्रभावित करने में कोई भूमिका नहीं है।
- हाल के दिनों में संगठन का राजनीतिकरण किया गया है।
- नीति आयोग को एक गौरवशाली सिफारिशी निकाय में बदल दिया गया है, जिसके पास सरकार के कामकाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आवश्यक शक्तियों का अभाव है।

नीति आयोग की पहल:

- एसडीजी इंडिया इंडेक्स
- समग्र जल प्रबंधन सूचकांक
- अटल इनोवेशन मिशन
- परियोजना के साथ
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम
- स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक
- जिला अस्पताल सूचकांक
- स्वास्थ्य सूचकांक
- कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक
- भारत नवाचार सूचकांक
- वूमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स
- सुशासन सूचकांक

नीति आयोग और योजना आयोग के बीच अंतर

नीति आयोग

- यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।
- इसमें विशेषज्ञ सदस्यों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
- यह सहकारी संघवाद की भावना से काम करता है क्योंकि राज्य समान भागीदार हैं।
- प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीईओ के रूप में जाना जाता है।
- यह योजना के 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण पर केंद्रित है।

Yojna IAS

- इसे नीतियों को लागू करने का अधिकार नहीं है।
- इसके पास धन आवंटित करने का अधिकार नहीं है, जो वित्त मंत्री में निहित है।

योजना आयोग

- यह एक गैर-संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था।
- इसकी सीमित विशेषज्ञता थी।
- राज्यों ने वार्षिक योजना बैठकों में दर्शकों के रूप में भाग लिया।
- सचिवों की नियुक्ति सामान्य प्रक्रिया से की गई थी।
- इसने 'टॉप-डाउन' दृष्टिकोण का अनुसरण किया।
- राज्यों पर लागू नीतियां और स्वीकृत परियोजनाओं के साथ आवंटित धन।
- इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने का अधिकार दिया गया था।

Yojna IAS

मेनार बर्ड विलेज राजस्थान

- विभिन्न संरक्षण प्रयासों के बाद उदयपुर जिले के मेनार गांव, जिसे "पक्षी गांव" के रूप में मान्यता प्राप्त है, को राजस्थान की नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है।
- इससे मेवाड़ क्षेत्र के इस ग्रामीण क्षेत्र को रामसर स्थल का दर्जा मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।

आर्द्रभूमि:

- आर्द्रभूमि पानी में स्थित मौसमी या स्थायी पारिस्थितिक तंत्र हैं। इनमें मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के मैदान, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र (6 मीटर से कम उच्च ज्वार वाले स्थान) के साथ-साथ मानव निर्मित आर्द्रभूमि जैसे अपशिष्ट जल उपचार तालाब और जलाशय आदि शामिल हैं।

महत्त्व:

- आर्द्रभूमि हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे बाढ़ की घटनाओं को कम करते हैं, तटीय क्षेत्रों की रक्षा करते हैं, साथ ही प्रदूषकों को अवशोषित करके पानी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं।
- आर्द्रभूमि मनुष्य और पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण हैं। 1 बिलियन से अधिक लोग निर्वाह के लिए उन पर निर्भर हैं और दुनिया की 40% प्रजातियां आर्द्रभूमि में रहती हैं और प्रजनन करती हैं।
- वे भोजन, कच्चे माल, दवाओं और जल विद्युत के लिए आनुवंशिक संसाधनों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
- भूमि-आधारित कार्बन का 30% पीटलैंड (एक प्रकार की आर्द्रभूमि) में संग्रहित किया जाता है।
- वे परिवहन, पर्यटन और लोगों की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भलाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- कई आर्द्रभूमियां प्राकृतिक सुंदरता के क्षेत्र हैं और जनजातीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मेनार वेटलैंड की मुख्य विशेषताएं:

- मेनार गांव में दो झीलें- ब्रह्मा और धंधा हर साल बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों की मेजबानी करते हैं।
- वन विभाग ने मेनार को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो तलछट और पोषक तत्वों के भंडारण में इसकी भूमिका को पहचानेगी और संबंधित झीलों के संरक्षण में स्थानीय अधिकारियों की मदद करेगी।
- जलीय पौधों को बढ़ाने और आर्द्रभूमि की स्थिति के साथ जैव विविधता की रक्षा के लिए दो झीलों को मजबूत किया जाएगा।

निवासी प्रजातियां:

- सर्दी के मौसम में दोनों झीलों में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियां निवास करती हैं।
- इनमें ग्रेटर फ्लेमिंगो, व्हाइट-टेल्ड लैपविंग, पेलिकन, मार्श हैरियर, बार-हेडेड गूज, कॉमन टील, ग्रीनशैंक, पिंटेल, वैग्टेल, ग्रीन सैंडपाइपर और रेड-वॉटेड लैपविंग शामिल हैं।
- मध्य एशिया, यूरोप और मंगोलिया से प्रवासी पक्षियों के आगमन के बाद इस गांव में पक्षी प्रेमी और पर्यटक आते हैं।

अन्य रामसर स्थल:

- वर्तमान में राजस्थान में दो आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त है-
- भरतपुर जिले में केवलादेव घाना।
- जयपुर जिले में सांभर साल्ट लेक।

रामसर सूची का महत्व:

- यह एक आईएसओ (अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन) प्रमाणन की तरह है। किसी भी साइट को इस सूची से हटाया भी जा सकता है यदि वह लगातार अपने मानकों को पूरा नहीं करती है। यह एक मूल्यवान वस्तु की तरह है जिसकी कीमत है लेकिन उस कीमत का भुगतान तभी किया जा सकता है जब उस वस्तु का ब्रांड मूल्य हो।
- रामसर टैग किसी भी साइट की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है और अतिक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है।
- पक्षियों की कई प्रजातियां यहां प्रवेश करते समय हिमालयी क्षेत्र में जाने से बचना पसंद करती हैं और इसके बजाय गुजरात और राजस्थान के रास्ते भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते का चयन करती हैं।
- इस प्रकार गुजरात कई अंतरराष्ट्रीय प्रवासी प्रजातियों जैसे बत्तख, वेडर्स, प्लोवर, टर्न, गल आदि और शोरबर्ड्स के साथ-साथ शिकार के पक्षियों के लिए पहला 'लैंडिंग पॉइंट' बन गया है।
- भारत में आर्द्रभूमि सर्दियों के दौरान प्रवासी पक्षियों के लिए चारागाह और विश्राम स्थल के रूप में कार्य करती है।

Yojna IAS

- प्रवासी वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन के अनुसार, सीएएफ (मध्य एशियाई फ्लाईवे), जो 30 देशों को कवर करता है, 182 प्रवासी जलपक्षी प्रजातियों की कम से कम 279 प्रजातियों को शामिल करता है, जिनमें 29 विश्व स्तर पर संकटग्रस्त और निकटवर्ती लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं।

Yojna IAS

विश्व व्यापार संगठन (WTO) की अपीलीय प्राधिकरण

विश्व व्यापार संगठन (WTO) की अपीलीय प्राधिकरण के तीन में से दो सदस्य इसी माह (दिसंबर) में कार्यमुक्त हो गए हैं, ज्ञात हो कि अब प्राधिकरण में मात्र एक ही सदस्य बचा है। विश्व व्यापार संगठन के पास मतदान शक्ति की प्रणाली नहीं है, फिर भी अन्य तंत्र हैं जिनके माध्यम से अमेरिका ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में अनुचित प्रभाव डाला है, मसलन, पिछले कुछ वर्षों में, ट्रंप प्रशासन के दौरान, अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय (एबी) में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी. डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान प्रणाली में एबी अपील का सर्वोच्च निकाय है. न्यायाधीशों की नियुक्ति को अवरुद्ध करने के कारण, वर्तमान में एबी कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीश नहीं हैं."

- डब्ल्यूटीओ का गठन 1995 में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (गैट) को बदलने के लिए किया गया था, जिसे 1948 में शुरू किया गया था.
- गैट को डब्ल्यूटीओ में बदलने की वजह ये थी कि गैट के ख़िलाफ़ शिकायत थी कि ये विकसित देशों के पक्ष में फ़ैसले करता था.

WTO के नियमों के अनुसार

- विवाद निपटान तंत्र या अपीलीय प्राधिकरण को कार्य करने के लिये कम-से-कम तीन सदस्यों की आवश्यकता होती है।
- दो सदस्यों की सेवानिवृत्ति से अब केवल एक सदस्य बचा है जिससे कार्यप्रणाली स्थगित है ।
- अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष मौजूद इस चुनौती से स्वयं WTO के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि विवादों को निपटाने की व्यवस्था संगठन का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य माना जाता है।
- अमेरिका द्वारा बीते वर्ष नए सदस्यों की नियुक्ति और 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके सदस्यों की पुनर्नियुक्ति पर रोक लग दी गयी थी ।
- अमेरिका द्वारा WTO पर पक्षपात करने का आरोप लगते हुए प्रतिबन्ध लगाया गया है।
  - अमेरिका और उसके समर्थकों का मानना है कि WTO ने चीन को उसकी अर्थव्यवस्था मज़बूत करने का अवसर दिया है। साथ ही वह चीन द्वारा व्यापक रूप से प्रयोग की जा रहीं अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिये भी कुछ नहीं कर रहा।

WTO की विवाद निपटान प्रणाली

- सदस्य देशों के बीच व्यापर सम्बंधित विवाद को परामर्श के माध्यम से निपटाने की कोशिश की जाती है।
- उपाय सफल न होने की सूरत में मामला एक विवाद पैनल (Dispute Panel) के पास जाता है। विवाद पैनल का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन उसके निर्णय के खिलाफ अपील अपीलीय प्राधिकरण (Appellate Body-AB) के समक्ष की जा सकती है।
  - WTO का विवाद निस्तारण तंत्र दुनिया में सबसे सक्रिय तंत्रों में से एक है।
- अपीलीय प्राधिकरण द्वारा विवाद पैनल के निर्णयों की समीक्षा की जाती है और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् यह अंतिम होती है तथा सदस्य देशों पर बाध्यकारी होती है।
- WTO प्रणाली के अनुसार, AB में सात सदस्य होने चाहिये जो WTO के सदस्य देशों के बीच आम सहमति से नियुक्त किये जाते हैं। WTO के विवाद पैनल से किसी भी अपील को AB के सात सदस्यों में से तीन द्वारा सुना जाता है।
- सदस्इयों का कार्नयकाल 4 वर्ष का होता है। एक बार जब किसी AB सदस्य का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो AB की सदस्य क्षमता को सात बनाए रखने के लिये एक नए सदस्य की नियुक्ति की आवश्यकता होती है।

निष्क्रियता का प्रभाव

- यदि अपीलीय प्राधिकरण को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है तो WTO के समक्ष अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को ले जाने वाले सदस्य देशों को पैनल द्वारा लिये गए निर्णय को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा, चाहे उसमें किसी प्रकार भी प्रकार की त्रुटी क्यों न हो।
- वैश्विक व्यापार में संरक्षणवाद को कम करने के लिये बीते कुछ वर्षों से चले आ रहे प्रयासों के मद्देनज़र **प्राधिकरण की निष्क्रियता** WTO के ढाँचे को कमजोर कर सकती है।
- अमेरिका-चीन एवं अमेरिका-भारत के बीच व्यापारिक तनाव के बढ़ने से वर्तमान में व्यापार तनाव एक प्रमुख चिंता है।
- इस प्राधिकरण की समाप्ति से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों में उलझे देशों को निस्तारण के लिये कोई मंच नहीं बचेगा।

Yojna IAS

भारत पर पड़ने वाले प्रभाव

- WTO के अपीलीय प्राधिकरण की निष्क्रियता बिलकुल भी भारत के हित में नहीं है, क्योंकि इसके कारण भारत के कई विवाद अधर में रह जाएँगे।
- वर्ष 1995 से अब तक भारत कुल 54 विवादों में प्रत्यक्ष भागीदार रहा है, जबकि 158 विवादों में तीसरे पक्ष के रूप में शामिल रहा है।
- इसी वर्ष फरवरी में अपीलीय प्राधिकरण ने भारत और जापान के मध्य चल रहे एक विवाद में अपील के लिये कर्मचारी उपलब्ध कराने की असमर्थता व्यक्त की थी।
    - यह विवाद भारत द्वारा लोहे और इस्पात उत्पादों के आयात पर लगाए गए कुछ सुरक्षा उपायों से संबंधित है।
- पिछले एक वर्ष में विश्व व्यापार संगठन में भारत के खिलाफ चार शिकायतें दर्ज़ कराई गई हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि भारत अपने चीनी और गन्ना उत्पादकों के लिये WTO के नियमों के दायरे से बाहर जाकर समर्थन जुटाने के प्रयास कर रहा है।

Swadeep Kumar